HARYANA VIDHAN SABHA

Bill No. 30-HLA OF 2022

THE HARYANA RURAL DEVELOPMENT (AMENDMENT) BILL, 2022

A BILL

further to amend the Haryana Rural Development Act, 1986.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Haryana Rural Development (Amendment) Act, 2022.

Short title and commencement.

- (2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 1st October, 2022.
- 2. For sub-section (1) of section 5 of the Haryana Rural Development Act, 1986, the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) Subject to the rules made under this Act, a fee shall be notified at a rate, as may be fixed by the State Government, from time to time on the sale proceeds of agricultural produce bought or sold or brought for processing in the notified market area on the dealer for the purposes of this Act:

Amendment of section 5 of Haryana Act 6 of 1986.

Ceried

Provided that except in case of agricultural produce brought for processing—

- (a) no fee shall be leviable in respect of any transaction in which delivery of the agricultural produce bought or sold is not actually made; and
- (b) the fee shall be leviable on the dealer only in respect of a transaction in which delivery is actually made.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to enable the State Government to levy HRD fee at a rate to be notified by State Government from time to time on sale proceeds of agricultural produce, bought or sold or brought for processing by any dealer in notified marked area for which the amendment in sections 5 of the Haryana Rural Development Act, 1986 is required. This progressive change will help in immediate implementation of the orders of the Government in increasing or decreasing the Haryana Rural Development Fee.

Hence this Bill.

DEVENDER SINGH BABLI, Development & Panchayats Minister, Haryana.

Chandigarh: The 22nd December, 2022

R.K. NANDAL, Secretary.

N.B.— The above Bill was published in the Haryana Government Gazette (Extraordinary), dated the 22nd December, 2022, under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

EXTRACT FROM THE HARYANA RURAL DEVELOPMENT ACT, 1986

5) (1) With effect from such date, as the State Government may by notification appoint in this behalf, there shall be levied on the dealer for the purposes of this AND Act, a fee on ad-valorem basis, at the rate of [two] per centum of the sale-proceeds COLLECTION of agricultural produce bought or sold or brought for processing in the notified OF FEE market area:

Provided that except in case of agricultural produce brought for processing-

- (a) no fee shall be leviable in respect of any transaction in which delivery of the agricultural produce bought or sold is not actually made; and
- (b) the fee shall be leviable on the dealer only in respect of a transaction in which delivery is actually made:

Provided further that rate of fee on cotton till the 31st December, 2010 shall be one and half per centum

Provided further that rate of fee on cotton with effect from 1st November, 2011 shall be 0.8 per centum

Provided further that rate of fee on potato during the period from 22nd December, 2011 to 31st March, 2012 shall be 1 per centum

Provided further that with effect from 1st September, 2012, the rate of fee on vegetable and fruits only, as mentioned in Schedule under clause (b) of rule 2 of the Haryana Rural Development Rules, 1987, shall be one per centum

Provided further that from the date of notification of the Haryana Rural Development (Amendment) Act, 2014, no fee shall be charged on vegetables and fruits as mentioned in Schedule under clause (b) of rule 2 of the Haryana Rural Development Rules, 1987.

[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा 2022 का विधेयक संख्या 30—एच०एल०ए० हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) विधेयक, 2022 हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) अधिनियम, 2022, कहा जा सकता है।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ।

- (2) यह प्रथम अक्टूबर, 2022 से लागू हुआ समझा जाएगा।
- 2. हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 की धारा 5 की उप—धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप—धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:—

1986 के हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 5 का संशोधन।

"(1) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए व्यवसायी पर अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में खरीदी गई या बेची गई या प्रसंस्करण के लिए लाई गई कृषि उपज के विक्रय मूल्य पर फीस, ऐसी दर पर अधिसूचित की जाएगी, जो राज्य सरकार द्वारा, समय—समय पर, नियत की जाए:

परन्तु प्रसंस्करण के लिए लाई गई कृषि उपज के मामलों को छोड़कर,-

- (क) किसी ऐसे लेन देन के संबंध में, जिसमें खरीदी गई या बेची गई कृषि उपज की वास्तव में सुपुर्दगी नहीं की जाती, कोई भी फीस उदग्रहणीय नहीं होगी; और
- (ख) किसी ऐसे लेन देन के संबंध में, जिसमें सुपुर्दगी वास्तव में की जाती है, फीस केवल व्यवहारी पर उदग्रहणीय होगी।"।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

अधिसूचित चिह्नित क्षेत्र में किसी भी डीलर द्वारा खरीदे या बेचे गए या प्रसंस्करण के लिए लाए गए कृषि उत्पाद की बिक्री आय पर राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित की जाने वाली दर पर राज्य सरकार को एचआरडी शुल्क लगाने में सक्षम बनाने के लिए जिसके लिए हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 की धारा 5 में संशोधन आवश्यक है। इस प्रगतिशील बदलाव से हरियाणा ग्रामीण विकास शुल्क को बढ़ाने या घटाने के सरकार के आदेशों को तत्काल लागू करने में मदद मिलेगी।

इसलिए यह विधेयक है।

देवेंद्र सिंह बबली, ेविकास एवं पंचायत मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ:

दिनांक : 22 दिसम्बर, 2022.

आर० के० नांदल,

सचिव।

अवधेयः उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 22 दिसम्बर, 2022 के हरियाणा गवर्नभेंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

अनुबन्ध

हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 की धारा 5 से उद्धरण

(1) ऐसी तिथि से, जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित नियत करे, इस _{फीस का लगाना} अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, व्यवहारी पर, अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में खरीदी गई या बेची तथा एकत्रित करना। गई या प्रसंस्करण के लिए लाई गई कृषि उपज के विक्रय-आगम का दो प्रतिशत की दर पर मूल्यानुसार आधार पर, फीस उद्गृहीत की जाएगी:-

परन्तु प्रसंस्करण के लिये लाई गई कृषि उपज की दशा के सिवाय,-

- (क) किसी ऐसे लेन-देन के सम्बन्ध में, जिसमें खरीदी गई या बेची गई कृषि उपज की वास्तव में सुपूर्दगी नहीं की जाती, कोई भी फीस उद्ग्रहणीय नहीं होगी: और
- (ख) किसी ऐसे लेन-देने के सम्बन्ध में, जिसमें सूपूर्दगी वास्तव में की जाती है, फीस केवल व्यवहारी पर उदग्रहणीय होगी:

''परन्तु यह और कि 31 दिसम्बर, 2010 तक कपास पर फीस की दर डेढ प्रतिशत होगी:

परन्तु यह और कि प्रथम नवम्बर, 2011 से कपास पर फीस की दर 0.8 प्रतिशत होगी:

परन्तु यह और कि 22 दिसम्बर, 2011 से 31 मार्च 2012 तक की अवधि के दौरान आलू पर फीस की दर एक प्रतिशत होगी:

परन्तु यह और कि प्रथम सितम्बर, 2012 से, केवल सब्जियां तथा फल जो हरियाणा ग्रामीण विकास नियम, 1987 के नियम 2 के खण्ड (ख) के अधीन अनुसूची में यथा वर्णित हैं, पर फीस की दर एक प्रतिशत होगी:

परन्तु यह और कि हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) अधिनियम, 2014 की अधिसूचना की तिथि से, हरियाणा ग्रामीण विकास नियम, 1987 के नियम 2 के खण्ड (ख) के अधीन अनुसूची में यथावर्णित सब्जियां तथा फलों पर कोई भी फीस प्रभावित नहीं की जाएगी;"